

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103006422014

दांडिक प्रकरण क.-673 / 14

संस्थापित दिनांक-14.11.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-परमाल अहिरवार पुत्र रमचन्दा अहिरवार उम्र 31 साल, निवासी निदानपुर, चंदेरी। <div>.....आरोपी</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री के एन भार्गव अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 11.03.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341, 294, 323, 506बी, 324 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 294, 323, 341, 506 बी के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी हरदेव ने दिनांक 10.10.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को रात में वह अपने भाई के घर से होकर अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में उसके घर के पास परमाल अहिरवार ने उसे रोक लिया और गाली गलौच करने लगा जब गाली देने से मना किया तो परमाल ने उसे लठ मारा जिससे उसे चोट आई। उसकी पत्नी फूलाबाई बचाने आई तो उसे भी लठ मारा जिससे उसे भी चोट आई। और जब वे रिपोर्ट करने आने लगे तो आरोपी ने रिपोर्ट करने पर से जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 441/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 341, 294, 323, 506बी के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 341, 323, 324, 506बी के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 09.10.14 को समय रात करीब 09.00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम निदानपुर में सार्वजनिक स्थान पर आहत

हरदेव को धारदार हथियार असन या भेदन उपकरण जैसे लाठी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

**--:: सकारण निष्कर्ष ::--**

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 हरदेव, अ.सा. 02 फूलाबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 हरदेव ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसके साथ धारदार हथियार से मारपीट की थी। इसी प्रकार अ.सा. 02 फूलाबाई ने भी इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसके पति के साथ धारदार हथियार से मारपीट की थी। उपरोक्त साक्षीगण ने पुलिस को कथन देने से भी इंकार किया है। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षीगण ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने धारदार हथियार से मारपीट की थी। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी के साथ धारदार हथियार से मारपीट की थी।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)